

रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उदायम)

कोर 4, स्कॉप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

फोन: 24365161, फैक्स: 24360644, वेबसाइट: www.recindia.com

सीआईएन: L40101DL1969GOI005095



बोर्ड द्वारा
1.1 के अनुपात
में बोनस शेयरों
की अनुशंसा

समृद्धता भविष्य की ओट...

30/06/2016 को समाप्त तिमाही के लिए स्टैंडअलोन गैर-लेखापरीक्षित परिणामों का सार

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही
		30/06/2016	31/03/2016	30/06/2015
		(गैर-लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(गैर-लेखापरीक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय	5,953.65	23,638.35	5,662.89
2	अवधि के लिए निवल लाभ (कर पूर्व, अपवादात्मक एवं असाधारण मद्दे)	2,052.73	8,045.21	2,124.22
3	अवधि के लिए कर पूर्व निवल लाभ (अपवादात्मक एवं असाधारण मद्दों के पश्चात)	2,052.73	8,045.21	2,124.22
4	अवधि के लिए कर पश्चात निवल लाभ (अपवादात्मक एवं असाधारण मद्दों के पश्चात)	1,420.86	5,627.66	1,478.58
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [आवधि के लिए लाभ सहित (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात)]	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6	इक्विटी शेयर पूँजी (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर)	987.46	987.46	987.46
7	आरक्षित एवं अधिशेष (पुनर्मूल्यन आरक्षित निकालकर) (लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार 31 मार्च की यथास्थिति)	27,630.30	27,630.30	25,279.84
8	अर्जन प्रति शेयर (₹ 10 प्रति) (आगे जारी रहने वाले एवं बंद हो चुके प्रचालनों के लिए) (₹ में)			
मूल		14.39	56.99	14.97
डायल्यूटिड		14.39	56.99	14.97

टिप्पणी: 1) 30 जून, 2016 को समाप्त तिमाही के दौरान, कंपनी ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी व्युत्पन्न अनुबंधों, जो 01 अप्रैल, 2016 से लागू हुए हैं, के लिए लेखाकरण पर दिशानिर्देश टिप्पणी के अनुरूप व्युत्पन्न अनुबंधों के लिए लेखाकरण संबंधी नीति को परिशोधित कर दिया है। दिशानिर्देश टिप्पणी में उल्लिखित संक्रमणकालीन उपबंधों के अनुसार, ₹ 86.75 करोड़ (₹ 45.92 करोड़ के करों की निवल राशि) की राशि को आरक्षित धन के प्रारंभिक शेष में समायोजित कर दिया है, जो 31 मार्च, 2016 तक व्याज दर स्पैफ के उचित मूल्य में हुए परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा, ₹ 35.89 करोड़ की व्याज दर स्पैफ पर अंजित उचित मूल्य को परिशोधित लेखाकरण नीति के अनुसार 30 जून, 2016 को समाप्त तिमाही के लाम एवं हासि विवरण के लिए बुक कर दिया गया है।

इसके अलावा, हेडर रॉपों तथा तदनुरूपी व्युत्पन्न अनुबंधों पर विदेशी मुद्रा विनियम मतभेदों के उपचार पर लेखाकरण नीति को भी परिशोधित किया गया है ताकि उसे लेखाकरण मानक-11 के अनुसार ऐसी मतभेदों की रोम अधिक के दौरान दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा वित्तीय मद्दों पर विदेशी मुद्रा उत्तार-चावाव हानि/लोापा के क्रांत्र चुकात करने हेतु विद्यमान लेखाकरण नीति के अनुरूप किया जा सके। इस परिवर्तन के प्रभाव, पिछले वर्ष से संवर्धित विदेशी मुद्रा विनियम उत्तार-चावाव हानि ₹ 29.79 करोड़ तथा लालू अवधि से संवर्धित विदेशी मुद्रा विनियम उत्तार-चावाव लाभ ₹ 1.91 करोड़ को 30 जून, 2016 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय लागत में समायोजित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 'विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खाते' में ढुकता की जाने वाली शेष राशि ₹ 172.36 करोड़ (30 जून, 2015 के अनुसार ₹ 403.77 करोड़) है। लेखाकरण नीतियों में हुए इन परिवर्तनों के कारण, 30 जून, 2016 को समाप्त तिमाही के लिए पूर्व लाभ ₹ 8.01 करोड़ अधिक है।

2) जैसा कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है, कंपनी वित्त-वर्ष 2018-19 से भारतीय लेखाकरण मानक (इंड-एप्स) को लागू करेगी। तदनुसार, उपरोक्त 'अन्य व्यापक आय' के संबंध में जानकारी को उपलब्ध नहीं कराया जा सकेगा क्योंकि इस शास्त्रावली को केवल भारतीय-लेखाकरण मानक के तहत परिशोधित किया गया है।

3) उपरोक्त जानकारी, सेवी (शूलीकरण व्यापित और प्रकटन अपेक्षाएं), विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दर्ता दिया तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com तथा www.nse-india.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.recindia.com) पर भी उपलब्ध है।

कृत रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
ह/-
(राजीव शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-00973413

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 11 अगस्त, 2016